

03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

आज दिनांक 24.11.2020 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना कोपागंज पुलिस द्वारा वाजीपुरा के पास से मु0अ0सं0 539/20 धारा 34,323,504,506,336,354 भादवि0 में वांछित अभियुक्त मो0 मुस्तफा उर्फ पठान पुत्र निजामुद्दीन निवासी वाजीदपुरा थाना कोपागंज, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 597/20 धारा 354,504,506 भादवि0 में वांछित अभियुक्त विजय गणपती ओडेकर पुत्र गणपति महादेव ओडेकर निवासी राजाराम का पुरा, मु0अ0सं0 576/20 धारा 323,504,506,308,325,120बी भादवि0 में वांछित अभियुक्त राजू पुत्र सुरेन्द्र निवासी हरिकेशपुरा थाना कोतवाली मरु को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

20 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब के साथ एक गिरफ्तार—

दिनांक 23.11.2020 को थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान बकियाराम चौराहा के पास से जयप्रकाश गुप्ता पुत्र स्व0 मोती चन्द्र निवासी पाण्डेयपुर थाना फेफना जनपद बलिया के कब्जे से 20 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 29 व्यक्ति गिरफ्तार—

आज दिनांक 24.11.2020 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान शांति भंग की आशंका में थाना घोसी पुलिस द्वारा सुहेल अहमद, अमन अहमद निवासीगण बनगांवा, आजम, मो0 जमील, नसीम, सलीम निवासीगण काजीपुरा, रणधीर, गंगा, शाहिद, सलीम निवासीगण मलेरीकोट थाना घोसी, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा विनोद राय, दिपक, सुधीर, योगेश, मूकेश, शशिप्रकाश, रवीन्द्र, जितेन्द्र, यागेन्द्र निवासीगण सहरोज थाना कोपागंज, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा राजू, रामबाबु निवासीगण महरनिया, फैजल निवासी मुंशीपुरा थाना कोतवाली, थाना मधुबन पुलिस द्वारा बेचन निवासी शिवपुर थाना मधुबन, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा अजय मौर्य, अंगद मौर्य निवासीगण नरौनी थाना रानीपुर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

आज दिनांक 24.11.2020 को यातायात माह नवम्बर-2020 के क्रम में यातायात प्रभारी संतोष यादव मय हमराह ,हे0का0 सुनील कुमार सिंह, का0 प्रवीण कुमार गुप्ता, होम गार्ड मिथलेस सिंह, होम गार्ड अनिल कुमार, हो0गा0 अमीर चन्द्र, पी0आर0डी0 अरविन्द कुमार के साथ जागरूकता कार्यक्रम में वाहन के चालको को सीट बेल्ट लगाये हेतु जागरूक किया गया तथा यातायात नियम लिखे हैण्ड बिल बाटा गया जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का सघन चेकिंग अभियान गाजीपुर तिराहा, रोडवेज, रेलवे स्टेशन, भीटी चौक सदर, हास्पिटल चलाकर बिना, रजिस्ट्रेशन, डी0एल0, इंशोरेन्स, फिटनेश विना हेलमेट, सीट बेल्ट, गलत नम्बर प्लेट में कुल 200 वाहनो का चालान किया गया विशेष रूप से काली फिल्म लगाकर चलने वाले वाहनो का अभियान चलाया गया जिसमें कुल 20 वाहनो का काली फिल्म उतरवायी गयी तथा चालान किया गया, विना हेलमेट के 80, सीट बेल्ट-25, गलत नम्बर प्लेट पर-15, बिना डी0यल0 के 28, मोबाईल फोन -15 तथा तीन सावरी -07, गलत पार्किंग में 10 चालान की कार्यवाही की गयी ।